


राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.1(6)( )स्था/एनटीटी/आईसीडीएस/2022/185910 जयपुर, दिनांक 28.9.22

संशोधित - आदेश

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के विभागीय स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 183711 दिनांक 27.09.2022 के क्र.सं. 30 पर अंकित श्रीमती नीतू नैनीवाल के कॉलम सं. 4 में सिंगपुर, कलियाखेडी/लाडपुरा/कोटा व कॉलम सं. 5 में रिक्त पद पर, क्र.सं. 54 पर श्रीमती सम्पति दूत के कॉलम सं. 3 में केली-III/निम्बाहेडा/चित्तौडगढ व क्र.सं. 55 पर श्रीमती जाखड उर्मिला कुमारी के कॉलम सं. 4 में केली-III/निम्बाहेडा/चित्तौडगढ, क्र.सं. 62 पर अंकित सरोज चौधरी के कॉलम नं. 2 में सुमन चौधरी, क्र.सं. 64 पर अनिता निठारवाल के कॉलम सं. 3 में गोविन्दपुरा-1/जालसू/जयपुर से फीच-1/लूणी/जोधपुर स्थानान्तरणाधीन व कॉलम सं. 5 में कृष्णा कुमारी वर्मा, क्र.सं. 65 पर अंकित कृष्ण कुमार वर्मा के कॉलम सं. 2 में कृष्णा कुमारी वर्मा पढा जावे, संशोधित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।



उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ.1(6)( )स्था/एनटीटी/आईसीडीएस/2022/185911-30 जयपुर, दिनांक 28.9.22  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज (महिला एवं बाल विकास) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, आई.सी.डी.एस एवं पंचायती राज (आई.सी.डी.एस) विभाग राज. जयपुर।
4. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
7. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. आदेश पत्रावली



उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।